भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या:4684
28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एबीपीएमजेएवाई के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पताल

†4684. डॉ. मोहम्मद जावेदः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाई) के अंतर्गत सूचीबद्ध किए गए सार्वजनिक और निजी अस्पतालों का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) (एबीपीएमजेएवाई) के अंतर्गत पैनल से हटाए गए सार्वजनिक और निजी अस्पतालों का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को ऐसे मामलों की जानकारी है जिनमें निजी अस्पताल निधि संवितरण में विलंब के कारण एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत उपचार करने से मना कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों से संबंधित शिकायतों विशेषकर पात्र लाभार्थियों को सेवा देने से इंकार करने अथवा लाभों से वंचित करने से संबंधित शिकायतों की निगरानी करने और उनका समाधान करने के लिए क्या तंत्र विद्यमान है अथवा कार्यान्वित किए गए उपाय क्या हैं; और

(ङ) एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत अस्पतालों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पैनलबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पैनल से बाहर किए गए सरकारी और निजी अस्पतालों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** पर दिया गया है।

(ग) और (घ): पैनल में शामिल किए जाने की शर्तों के अनुसार, अस्पताल योजना के पात्र लाभार्थियों को उपचार देने से इनकार नहीं कर सकते। पैनल में शामिल अस्पताल द्वारा उपचार देने से इनकार किए जाने की स्थिति में, लाभार्थी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एबी-पीएमजेएवाई के तहत, स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं का उपयोग करने में लाभार्थियों के सामने आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तीन-स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली बनाई गई है। प्रत्येक स्तर पर शिकायतों के समाधान के लिए एक समर्पित नोडल अधिकारी और शिकायत निवारण समितियां हैं।

लाभार्थी वेब आधारित पोर्टल, केन्द्रीयकृत शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली (सीजीआरएमएस), केन्द्रीय एवं राज्य कॉल सेंटर (14555), ईमेल, राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों को पत्र (एसएचए) आदि सहित विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। शिकायत की प्रकृति के आधार पर, आवश्यक कार्रवाई की जाती है जिसमें योजना के अंतर्गत उपचार प्राप्त करने में लाभार्थियों को सहायता प्रदान करना शामिल है।

(ङ): चूंकि जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए एबी-पीएमजेएवाई के तहत अस्पतालों को सूचीबद्ध करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की है। भारत सरकार सभी पात्र लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए इस योजना के तहत अधिक से अधिक अस्पतालों को सूचीबद्ध करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करती है। अस्पतालों की भागीदारी में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. चिकित्सा प्रक्रियाओं की संख्या में वृद्धि (1961) के साथ संशोधित स्वास्थ्य लाभ पैकेज (एचबीपी) जारी किया है।
ii. दावा निपटान की निगरानी उच्चतम स्तर पर की जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि दावे का निपटान निर्धारित समय के भीतर हो जाए।
iii. पैनलबद्ध करने के लिए कागज रहित ऑनलाइन आवेदन प्रणाली अर्थात हॉस्पिटल एम्पैनलमेंट मॉड्यूल (एचईएम 2.0) बनाई गई है
iv. अस्पतालों का आभासी और भौतिक क्षमता निर्माण किया जा रहा है।
v. उनकी चिंताओं का उसी समय पर समाधान करने के लिए एक अस्पताल-विशिष्ट कॉल सेंटर (14413) स्थापित किया गया है।
vi. लाभार्थियों और अस्पतालों के सामने आने वाली समस्याओं को समझने के लिए नियमित रूप से सूचीबद्ध अस्पतालों का दौरा करने के लिए जिला कार्यान्वयन इकाइयां (डीआईयू) स्थापित की गई हैं।

अनुलग्नक - I

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार विवरण

वित्तीय वर्ष	2018-2019		2019-2020		2020-2021		2021-2022		2022-2023		2023-2024		2024-2025	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निजी	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	सरकारी
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	-	3	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
आंध्र प्रदेश	84	45	570	671	60	1	99	590	88	44	87	33	91	30
अरुणाचल प्रदेश	-	2	-	2	1	14	-	17	-	9	1	2	3	-
असम	85	35	2	119	11	5	11	-	28	2	26	16	7	5
बिहार	61	558	103	22	32	1	35	2	71	1	87	1	139	2
चंडीगढ़	6	6	6	1	3	-	4	-	1	-	2	-	2	-
छत्तीसगढ़	-	2	-	591	295	361	93	28	120	28	19	22	93	9
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीव	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	-	-
दिल्ली	10	7	6	3	9	-	7	1	2	-	16	-	12	-
गोवा	-	9	2	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	9
गुजरात	305	1,450	52	25	30	69	134	13	154	97	130	80	109	73
हरियाणा	208	144	110	11	37	6	57	2	127	-	121	338	98	1
हिमाचल प्रदेश	34	133	9	2	12	-	24	-	24	2	31	1	15	-
जम्मू और कश्मीर	17	111	14	1	3	-	32	1	30	2	37	3	1	4
झारखंड	166	220	31	13	34	-	33	4	23	1	22	1	8	1
कर्नाटक	206	395	84	2,420	47	26	24	16	87	49	103	58	37	8
केरल	80	147	63	39	109	4	71	7	43	1	1	3	19	1
लद्दाख	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
लक्षद्वीप	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
मध्य प्रदेश	55	146	35	259	129	30	115	25	91	21	88	9	74	7
महाराष्ट्र	310	82	38	92	209	20	63	5	86	3	96	5	327	301
मणिपुर	6	9	2	9	1	7	3	9	11	-	8	-	4	-
मेघालय	2	145	11	1	4	2	-	1	-	-	-	4	2	2
मिजोरम	2	77	3	-	2	1	-	-	-	1	1	-	-	1
नागालैंड	4	39	6	4	3	1	-	3	2	-	11	1	1	2
ओडिशा	-	1	-	9	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
पुदुचेरी	-	2	8	10	2	-	6	-	2	-	-	-	-	1
पंजाब	-	2	262	204	103	1	63	1	25	3	65	2	36	5
राजस्थान	9	13	-	27	271	749	421	50	209	60	64	31	-	-
सिक्किम	1	5	-	-	-	-	-	6	1	-	1	1	2	2
तमिलनाडु	790	327	84	27	81	12	146	524	51	22	40	86	33	22
तेलंगाना	1	38	-	4	1	2	246	142	52	826	56	2	54	1
त्रिपुरा	2	88	-	1	-	36	-	2	1	2	2	3	-	1
उत्तर प्रदेश	911	427	234	632	79	3	265	3	576	12	578	1,810	284	62
उत्तराखंड	48	97	2	6	15	-	20	-	26	-	46	1	28	2
पश्चिम बंगाल	-	5	-	20	3	-	-	-	-	2	5	-	8	-

अनुलग्नक - II

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के पैनल से बाहर किए गए सरकारी और निजी अस्पतालों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा

वित्तीय वर्ष	2018-2019		2019-2020		2020-2021		2021-2022		2022-2023		2023-2024		2024-2025	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	0	0	0	9	0	0	0	148	0	88	0	1	0	0
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
असम	0	0	0	1	0	0	0	2	0	5	0	0	0	0
बिहार	0	17	0	34	0	5	0	1	0	1	0	0	0	0
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
छत्तीसगढ़	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
हरियाणा	0	0	0	0	0	4	0	1	0	10	4	9	1	6
हिमाचल प्रदेश	0	0	11	0	1	4	1	4	0	3	3	3	0	0
जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
झारखंड	0	20	0	3	0	16	0	0	0	40	0	81	0	24
कर्नाटक	0	0	0	1	0	8	0	11	0	129	0	27	0	0
केरल	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	1	0	1
लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	3	0	10	0	87	0	53	0	286
महाराष्ट्र	0	70	0	43	0	12	0	109	71	122	21	31	0	0
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	1	1	0
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0
पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
पंजाब	0	0	0	0	0	15	0	4	0	3	0	0	0	0
राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	0	2	0	0
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
तमिलनाडु	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	9	0	1
तेलंगाना	0	0	0	0	0	0	0	6	0	2	0	0	0	1
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	0	3	0	3	1	74	0	45	0	40	2	204	0	47
उत्तराखंड	0	0	0	19	0	1	0	32	0	32	0	1	0	0

*****